न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–14, शाहजहॉपुर।

CNR NO.	**UPSH040233272022**

दिनांक–29.08.2022

अभियुक्त चन्द्रभान की ओर से मु0अ0सं0–412/2022, धारा– 411 भा0दं0सं0, थाना कोतवाली, जिला शाहजहांपुर के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि वह निर्दोष है तथा उसे पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। जो बरामदगी बतायी गयी है, ऐसी कोई बरामदगी उसके पास से नहीं हुई है। पुलिस द्वारा फर्जी बरामदगी कर उसको फंसाया गया है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उसका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। पुलिस से इतर दो व्यक्ति गवाह बताये गये हैं, जो कि शराब कम्पनी के ही कर्मचारी हैं, हितबद्ध साक्षी है। जमानत प्रार्थना पत्र में यह भी कथन किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ARNESH KUMAR V/S STATE OF BIHAR, (2014) 8 SCC 273 के निर्णय में दिये गये निर्देशों में यह स्पष्ट रूप से आज्ञापक किया है कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को सात साल तक की सजा वाले मामले में गिरफ्तार करता है तो वह धारा 41(1)(b)(ii) में निर्दिष्ट उप–खंडों वाली एक जांच सूची विधिवत भरी हुई रूप में न्यायालय में आरोपी के साथ प्रेषित करेगा और आरोपी को आगे हिरासत में रखने के लिये मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करते समय गिरफ्तारी के लिये आवश्यक कारणों को लिखित रूप में सामग्रियों के साथ प्रस्तुत करेगा। प्रस्तुत मामलें में पत्रावली पर कोई सूची व गिरफ्तारी के लिये आवश्यक कारण लिखित रूप में पुलिस द्वारा दाखिल नहीं किये गये हैं। पुलिस द्वारा दौरान गिरफ्तारी व न्यायालय के समक्ष प्रेषित करते समय दं.प्र.सं. के आज्ञापक उपबन्धों का व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आज्ञापक निर्देशों का पालन नहीं किया गया। अतः अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह याचना किया गया कि जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाये तथा अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा अपराध

क्रमशः पेज संख्या– 2 पर

अजमानतीय बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया तथा यह कथन किया गया कि अभियुक्त के कब्जे से मु0 82,05,000/–रूपये की बरामदगी हुई है। उसके उपरान्त उसे प्रस्तुत प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त का यह कथन कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को सात साल तक की सजा वाले मामले में गिरफ्तार करता है तो वह धारा 41(1)(b)(ii) में निर्दिष्ट उप–खंडों वाली एक जांच सूची विधिवत भरी हुई रूप में न्यायालय में आरोपी के साथ प्रेषित करेगा और आरोपी को आगे हिरासत में रखने के लिये मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करते समय गिरफ्तारी के लिये आवश्यक कारणों को लिखित रूप में सामग्रियों के साथ प्रस्तुत करेगा, प्रस्तुत मामले में लागू नहीं होता है। विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त का दिनांक 19.08.2022 को प्रस्तुत मामले में धारा 411 भा0ंद0सं0 के तहत रिमाण्ड स्वीकृत किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट राहुल मिश्रा व अन्य व्यक्ति के विरूद्ध धारा 328 व 381 भा0ंद0सं0 के अन्तर्गत एक करोड़ तीन लाख एक हजार रूपये सेफ खोलकर निकाल लिये जाने के सम्बन्ध में वादी मुकदमा दिलीप कुमार जायवाल की ओर से पंजीकृत करायी गयी है। थाने की आख्या दिनांकित 25.08.2022 व फर्द बरामदगी के अनुसार अभियुक्त चन्द्रभान से 82,05,000 रूपये बरामद हुए हैं। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अजमानतीय एवं गम्भीर प्रकृति का है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र आधार पर्याप्त न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शाहजहॉपुर।
आई0डी0 यू0पी0–1875